FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **दुल्ली चन्द** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **अपील विविध प्रार्थना पत्र ,** नम्बर 15/187/2019 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2021	आज यह पत्रावली हमाने समक्ष वास्ते बहस हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास में स्थित आराजी खसरा नं0 824, 825 राजस्व रिकॉड में तालाब व शमशान की भूमि है। उक्त आराजी पर ग्राम बम्बोरा के ही अप्रार्थीगण संख्या 04–22 के द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा अतिकमियो के विरूध ठोस प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है, मौके पर आज भी अतिक्रमण है। अतिकमियो के विरूध ठोस प्रभावी कार्यवाही नही होने के कारण परिवादी द्वारा जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17745/2019 उनवान दुल्ली चन्द जाट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार वगै0 माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में प्रस्तुत की गयी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाक 21.10.2019 को निर्णय पारित कर परिवाद में यह निर्देश प्रदान किये है, कि प्रार्थी परिवाद/प्रतिनिधित्व पत्र जिला कलक्टर के यहा प्रस्तुत करें। जिला कलक्टर परिवादी की शिकायत का विचारण तीन माह में करे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अतिक्रमण को हटवाया जावे। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कोई कथन व दस्तसवेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। हमने पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि	

जिला कलक्टर, अलवर

माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17745/2019 उनवान दुल्ली चन्द जाट बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनाक 21.10.2019 के निर्देशानुसार कार्यवही कर वर्णित आराजी से अतिक्रमण हटवाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है। प्रार्थना पत्र मात्र अतिकमण हटवाने से संबंधित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलकट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही सुनश्चित करें। प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात की प्रति के संधारित की जाकर, प्रकरण नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर अलवर